

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष/5740

भोपाल, दिनांक 4/12/19

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
रीवा एवं धार सामान्य वनमंडल
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-3054-04-337-9999-9137-वन क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों का संधारण अंतर्गत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2019-20

संदर्भ:- 1. वनमंडलाधिकारी रीवा सामान्य वनमंडल का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/10695 दिनांक 26.11.19
2. वनमंडलाधिकारी धार सामान्य वनमंडल का पत्र क्रमांक/व्यय/6248/2019 दिनांक 23.11.2019

- 0 -

संदर्भित विषयान्तर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये 10-3054-04-337-9999-9137- वन क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों का संधारण का संधारण अंतर्गत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाता है :-
(राशि रूपयों में)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अतिरिक्त बजट आवंटन
वनमंडलाधिकारी रीवा सामान्य वनमंडल	2,00,000
वनमंडलाधिकारी धार सामान्य वनमंडल	2,00,000

अतिरिक्त बजट आवंटन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

1. उक्त आवंटित राशि का व्यय वन वन वित्तीय नियमावली के अध्याय 10 के नियम 304 में वर्णित अनुसार वन मार्गों का संधारण कार्य कराया जाये।
2. कार्य आयोजना में दर्शित वनमार्ग का ही संधारण किया जाये।
3. वनमार्गों का एक पृथक रजिस्टर निम्न प्रपत्र अनुसार संधारित किया जाये -

प्रपत्र

क्रं.	वनमार्ग का नाम	पहाड़ी (कि.मी. में)	मैदानी (कि.मी. में)	योग (कालम नं. 3 एवं 4 का योग कि.मी. में)	व्यय की गई राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6

4. उक्त आवंटित राशि का व्यय किसी अन्य मद में न किया जाये।
5. शासन एवं मुख्यालय द्वारा इस संबंध में व्यय हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार) 4/12/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/5741
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4/12/19

1. ✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त रीवा एवं इंदौर मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अमर गुप्ता

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल